

कार्यालय जिला सेनानी अग्निशमन/नगरसेना बिलासपुर (छ.ग.)

कर्मोंक/ ५२५ /फायर सर्विस/2020,

बिलासपुर, दिनांक २२/२ /2020.

“अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति रीत्ना सिंह प्रायार्या का महर्षि विद्या मंदिर मंगला बिलासपुर जिला बिलासपुर-छत्तीसगढ़ में स्थित स्कूल का इस विभाग के कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी माइकल सेन्टियागो के द्वारा दिनांक 22.02.2020 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अंतर्गत दर्शाये गये अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की आवश्यकता संबंधित निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के आधार पर 01 वर्ष की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

—:शर्तें:—

1. सभी अग्नि सुरक्षा यंत्र/प्रणाली एवं निकास द्वारा व्यवधान रहित चालू हालत में रखा जावे। इसमें किसी प्रकार के चूक के लिये प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है। तो इस प्रमाण-पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली उपकरणों को संचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जावे।
4. मकान मालिक/कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम व सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
5. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बॉय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।

जारी दिनांक:- 22/02/2020



(अशोक वर्मा)

डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट
एवं अग्निशमन अधिकारी
नगरसेना बिलासपुर (छ0ग0)